UPRB010016462026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच जे एस)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–671/2026

1. दीपू बाल्मीक उर्फ काला उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र उमेश बाल्मीक, निवासी राधा नगर थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर। मो.नं.–8874806634
2. अश्वनी उर्फ शनि उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र गजाघर प्रसाद ,निवासी ग्राम पैड़ापुर थाना ऊचांहार जिला रायबरेली।
3. आर्दश पासी उर्फ नुन्नू पासी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र विजय बहादुर ,निवासी पटेल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर।
4. अमित रावत उर्फ अमित कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र स्व० अखिलेश कुमार निवासी दक्षिणी गौतम नगर, थाना कोतवाली नगर जनपद–फतेहपुर।

.....प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....अभियोगी।

दिनांक–18.04.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **दीपू बाल्मीक उर्फ काला, अश्वनी उर्फ शनि, आदर्श पासी उर्फ नुन्नू पासी, अमित रावत उर्फ अमित कुमार** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **42/2026** धारा–**309(4), 317(2),61(2) B.N.S.** थाना **ऊँचाहार,** जिला **रायबरेली** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी अंकित पाल एनटीपीसी कार्यदायी संस्था मेसर्स पीएन कंसट्रैक्शन कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी प्रतिदिन की तरह ऑफिस से समय शाम करीब 06.30 बजे अशोका पैलेश स्थान मदारीगंज गया था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं करीब

रात 10 बजे अपने घर के लिये जा रहा था कि तभी घटना दिनांक 26/02/2026 को रास्ते में हटवा गाँव व लक्ष्मीगंज गाँव के बीच में डिहवा गाँव अशोक किराना स्टोर के समीप दो बाइक सवार पर 02–02 लोग नाम पता अज्ञात ने मुझे अकेला पाकर मेरी मोटर साईकिल को सामने से रोका और मुझसे किसी गाँव का पता पूछने लगे कि तभी बाइक सवार ने पीछे से मेरा बैग छीनने लगे. जिसमें मेरा ASUS कम्पनी का लैपटप जिसकी सीरियल नं0–T3N0CV065552113 और कम्पनी का पैनड्राइव थी और कुछ लोग सामने घेरे खड़े थे और उन्होंने मेरा मोबाइल POCO M4 पावर ब्लैक कलर (मो0 नं०– नम्बर–63928XXXXX) और IMEI नंबर 861737066348744 और पर्स छीन लिया, जिसमें मेरा (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाईसेंस, SBI और HDFC का. एटीएम कार्ड और करीबन 200 रु) को मुझसे छीन लिया और धमकी दिया कि यदि किसी से शिकायत किये तो जान से मरवा दूंगा। उन लोगों को मैं सामने आने पर पहचान लूँगा। प्रार्थी किसी तरह डरा सहमा हुआ घर पहुंचा तो घर के मो० फोन से डायल 112 को सूचना दिया मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी आप बीती बताया । अतः प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामित नहीं है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी का स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी मात्र गुडवर्क के कारण की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी जो अभियोजन कथानक को संदेह उत्पन्न करता है। दिनांक 01 मार्च 2026 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपने मित्र जो ऊचांहार में रहता है, उसके यहाँ पार्टी में आये थे और वापस अपने घर जा रहे थे तो ड्राविंग लाइसेन्स मांगने पर थाना पुलिस ऊंचाहार की मनचाही डिमाण्ड को पूरा न कर पाने पर फर्जी तरीके से नामित कर गिरफ्तार कर फर्जी बरामदगी दिखा दी गयी जबकि सभी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं।प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 02.03.2026 से जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपनी स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमान् जी द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें और प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में

उपस्थित रहेगें। अतः उपरोक्त कारणों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियुक्तगण द्वारा यह बहस की गई कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए यह बहस की गई कि उपरोक्त कथन अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किया जा रहा है। दौरान विवेचना व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये है। अभियुक्तगण को लूट हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

इस सम्बंध में पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी अंकित पाल द्वारा दिनांक 26.02.2026 को रास्ते में बाइक सवार लोगों द्वारा उसकी मोटरसायकिल रोककर बैग, मोबाइल तथा पर्स छीन लिये जाने का कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामित नहीं है, न ही उनका कोई हुलिया वर्णित है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के पश्चात उनके पास से लैपटाप, डायरी, पर्स, घड़ी आदि बरामद होने का उल्लेख है, किन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। बरामद माल की शिनाख्त वादी मुकदमा से नहीं करायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी वर्णित नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 02.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अतः मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिक/अभियुक्तगण **दीपू बाल्मीक उर्फ काला, अश्वनी उर्फ शनि, आदर्श पासी उर्फ नुन्नू पासी, अमित रावत उर्फ अमित कुमार** को अन्तर्गत अपराध अपराध संख्या **42/2026** धारा–**309(4), 317(2),61(2) BNS,** थाना–**ऊँचाहार,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा **मु० पचीस–पच्चीस हजार** रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व सम राशि की

दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जायें–

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगें व गवाहों को डरायेगा, धमकायेगें नहीं।

2– जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगें।

3– वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन नहीं लेगें।

4– वह आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें।

(कुशलपाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
UPID 6165
18.04.2026

Raghuraja
(Stenographer)